



फर्द अहकाम

..... बनाम
 सदानन्द साहू फोरेट

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जिला कोटपूतली-बहरोड

केस संख्या 52/2023 मु.सि.जि.को.पू.१७

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
13/08/23	<p>राजस्व (ग्रुप-1) विभाग राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 05.08.2023 के अनुसार दिनांक 07.08.2023 से नवजिला कोटपूतली - बहरोड का सृजन किये जाने से पत्रावली न्यायालय जिला कलक्टर/न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर से स्थानान्तरण होकर प्राप्त होने पर पेश हुई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो। पक्षकारान/वकील उभयपक्षकारान को अदालती नोटिस जारी हो। पत्रावली दिनांक 05/10/23 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  जिला कलक्टर कोटपूतली-बहरोड </p>	<p>14.12.16 31/08/23</p>
05/10/23	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी/अभि. उपस्थित / अनु. पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली वास्ते दिनांक 31/12/24 को पेश हो।</p>	
31/12/24	<p>आज पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित / अनुपस्थित / पीठासीन अधिकारी आज अवकाश / दौरे / मितिग / अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 31/12/24 को पेश हो।</p>	
01/3/24	<p style="text-align: center;">रीडर</p> <p>पत्रावली पेश हुई। वकील को जारी नोटिस मिलने के बाद से नुका है। वकील स्वयं व उनके मजिस्ट्रेट को ही उपस्थित नहीं हैं। वकील के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के न्यायाधीश पीठासीन अधिकारी SDJ कोटपूतली के पत्रावली के निष्पन्न आम नहीं मिलने से यह कार्य का पत्र पेश किया गया है तथा न्यायाधीश पीठासीन अधिकारी को स्थानान्तरण होने से यह कार्य का सारणी प्रकाशित के आते।</p> <p>उपर्युक्त मु.सि.जि.को.पू.१७ पर अधिनस्थ न्यायालय के न्यायाधीश पीठासीन अधिकारी के (भाग-1) होने से सारणी होने व उपस्थित होने से (कोटपूतली) जारी है अधिनस्थ न्यायालय को निर्दिष्ट करके प्रकाशित किया पत्रावली पेश कर का होकर (कोटपूतली) प्रसार हो।</p> <p style="text-align: center;">  जिला कलक्टर कोटपूतली-बहरोड </p>	